

राजस्थान वित्त निगम
सतर्कता अनुभाग मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक आरएफसी/पीजी-1(53)/33

दिनांक 11.06.2019
12-6-19

परिपत्र

विषय: जन घोषणा पत्र (100 दिवसीय कार्ययोजना)

जन अभियोग निराकरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अशा.टीप क्रमांक प. 16(1) आरपीजी/2019 जयपुर, दिनांक 19.02.2019 की प्रति संलग्न कर समस्त शाखा प्रबन्धकों एवं अनुभागाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 27.50 पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति हेतु निगम के शाखा स्तर पर आयोजित औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों एवं शाखा कार्यालयों में स्थित सूचना पट्ट के माध्यम से आमजन द्वारा अपने परिवारों को पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने की जानकारी दी जावे।

शाखा कार्यालय परिसर में बैनर/होर्डिंग्स भी लगाये जावें। परिवादी द्वारा लिखित शिकायत देने पर उनका इन्द्राज किया जावे। इस बाबत पृथक से पंजिका संधारित की जावे एवं शिकायत प्राप्ति की रसीद/पावती भी दी जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(उर्मिला राजौरिया)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपी :- सभी शाखा कार्यालय एवं अनुभागाधिकारियों को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु।